विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक-2162 परिशिष्ट-एक
द्वारा डॉ० रामकिशोर दोगने माननीय विधायक म०प्र०

मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक / व.अधि./08/1047

भोपाल, दिनांक 10 जून, 2008

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स,
मध्यप्रदेश।

विषय : अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2008 के अंतर्गत सामुदायिक अधिकारों के दावों सम्बंधी प्रक्रिया।

अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि प्राप्त सामुदायिक दावों की संख्या नगण्य है, जो कि चिंताजनक है। अतः कृपया अपने स्तर पर समस्त उपखण्ड स्तर समिति के अध्यक्ष, वन विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के समिति सदस्यों की एक बैठक शीघ्र बुला ली जावे, जिसमें उन्हें निम्नानुसार निर्देश दिये जायें:-

1. राजस्व ग्राम के बाजिबुल अर्ज एवं निस्तार पत्रक से छांटकर समस्त वन भूमियों/छोटे-बड़े झाड़ के जंगल पर परम्परा से कायम कोई भी रूढ़ि या निस्तार के अधिकार की जानकारी संकलित कर ली जाए। इसी प्रकार वन विभाग की निस्तार पुस्तिका से अधिसूचित वन क्षेत्र में जो भी निस्तार के अधिकार परम्परा से चले आ रहे हैं उनकी जानकारी भी ग्रामवार तैयार कर ली जाए। इस संकलित जानकारी की एक प्रति सम्बंधित ग्राम सभा / ग्राम पंचायत सचिव को उपलब्ध करायी जाए और उन्हें सलाह दी जाए कि वे इनसे सम्बंधी सामुदायिक अधिकार के दावे निर्धारित प्रपत्र में तत्काल प्रस्तुत कर दे ताकि उनका सत्यापन होकर मान्य करने की कार्यवाही हो सके।

2. इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे सामुदायिक अधिकार हो सकते हैं जो न तो निस्तार पत्रक में है और न ही वन विभाग की निस्तार पुस्तिका में दर्ज हैं। अतः ग्राम सभा को यह स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि किसी भी वन भूमि में किसी भी प्रकार की पूजा/प्रार्थना से सम्बंधित स्थल तक जाने-आने का अधिकार शवदाह/कब्रिस्तान का अधिकार, बैठक/चौपाल करने का अधिकार, जड़ी-बूटियों/महुआ फूल आदि के प्रसंस्करण करने वाली जगह पर सामुदायिक अधिकार इत्यादि के लिए भी पृथक से सामुदायिक अधिकार का दावा करना होगा। इससे भविष्य में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति से बचा जा सकेगा। इसमें किसी जंगली नदी/नाले के किनारे नहाने, कपड़े धोने, मवेशियों को पानी पिलाने आदि जैसे अधिकार भी शामिल समझे जाना चाहिए।

सहायक नियोजन अधिकारी

2. इस बैठक के बाद सामुदायिक अधिकार के दावों की प्राप्ति और उनके सत्यापन/निराकरण की सतत मॉनीटरिंग भी सुनिश्चित की जाए। यह एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि किसी भी आदिवासी/वन निवासी समुदाय का कोई भी वन भूमि सम्बंधी सामुदायिक अधिकार अज्ञानतावश रिकार्ड होने/मान्यता प्राप्त करने से वंचित न रह जाए।

(ओ.पी.रावत)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

क्रमांक / व.अधि./08/1047 भोपाल, दिनांक 10 जून, 2008

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, आदिम जाति कल्याण विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. निज सचिव, माननीय राज्यमंत्रीजी, आदिम जाति कल्याण विभाग, म.प्र. ासन, भोपाल।
4. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, म.प्र.शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, गृह विभाग।
6. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
7. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वन विभाग भोपाल।
8. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग, भोपाल
9. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, राजस्व विभाग भोपाल।
10. समस्त सम्भागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
11. सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग भोपाल।
12. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग।
13. आयुक्त, आदिवासी विकास, म.प्र.।
14. समस्त डी.एफ.ओ. मध्यप्रदेश।
15. संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, मध्यप्रदेश।
16. संभागीय उपायुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग।
17. सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग...................... मध्यप्रदेश।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

सहायक नियोजन अधिकारी
आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएँ
सतपुड़ा भवन, भोपाल

परिशिष्ट-दो (6)

विधानसभा सत्र फरवरी–मार्च 2017

अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2162 के उत्तरांश 'ग' की जानकारी का परिशिष्ट – दो

जिला	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का पदनाम एवं पदस्थिति का स्थान	वनखण्डों की संख्या	रकबा (हे.मे.)
बैतूल	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल	197	24625
	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई	51	10223
	अनुविभागीय अधिकारी (राजरव) भैंसदेही	234	36836
होशंगाबाद	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी मालवा	48	64854
	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) इटारसी	34	15231
	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) होशंगाबाद	5	5936
	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोहागपुर	14	2340
	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिपरिया	28	48932
हरदा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) हरदा	39	14993
	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) टिमरनी	1	256
	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खिरकिया	15	15897

(बी0 के0 मिश्रा)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन भू–अभि0)
मध्यप्रदेश, भोपाल

सहायक नियोजन अधिकारी
आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएँ
सतपुड़ा भवन, भोपाल